न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 38/2015/(2015/00039) जिला–अजमेर

1. विश्राम पुत्र श्री देबी
2. सम्पत पुत्र देवी
3. सुमित्रा पुत्री देबी
4. साना पुत्री देबी
   समस्त जाति भील, निवासी संजयनगर, बरल द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. पोलू पुत्र देबी (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः–
   1/1 राधा पत्नी स्व0 पोलू
   1/2 रामचन्द्र पुत्र स्व0 पोलू
   1/3 लाली पुत्री स्व0 पोलू
   1/4 कौशल्या पुत्री स्व0 पोलू
   1/5 काली पुत्री स्व0 पोलू
   1/6 नौरत पुत्र स्व0 पोलू
2. सोरत पुत्र तेजू
   समस्त जाति भील, निवासी संजयनगर, बरल द्वितीय, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा
दिनांक 29–7–2015 जो राजस्व मु0न0 02/2015 बउनवान
पोलू बनाम विश्राम व अन्य

———

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित– 1. श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री अशोक शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1/1 से 1/6
3. श्रीमति ममता शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–3

निर्णय

दिनांकः— 16.04.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता देबी वल्द मोडा ने राजस्व ग्राम बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 878 रकबा 5—10—10 बीघा में विक्रेता गोकल व सोरत पुत्रान तेजू का समस्त हक, हिस्सा बिल मूल्यवान प्रतिफल के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर उपपंजीयक बिजयनगर के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 26—5—1993 को पंजीयन करवाया गया। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा बरल द्वितीय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2373 दिनांक 5—5—2015 तस्दीक किया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29—7—2015 से अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, बिजयनगर को प्रकरण में पुनः जांच कर विधिअनुसार उभयपक्षान को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने अपील मीमो व प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को ही कमोबेश दोहराते हुए मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 पोलू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 34/2014 जिसमें पोलू ने उक्त प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारों में समझौता होने तथा आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का उल्लेख कर प्रकरण विड्रो कर लिया तथा विड्रो के उक्त आदेश दिनांक 1—5—2015 को नजर अन्दाज कर अपना विवेचन किया है। इसके अलावा राजस्व वाद संख्या 122/2004 पोलू बनाम रमेश में दिनांक 5—12—2014 को स्वयं पोलू द्वारा राजीनामें के आधार पर वाद विड्रो किये जाने के तथ्य उपलब्ध है तथा इससे पूर्व भी प्रकरण संख्या 56/99 पोलू बनाम गोकुल पोलू द्वारा ही विड्रो की कार्यवाही की गई तथा उसके द्वारा ही प्रकरणों को विड्रो किया गया इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पोलू द्वारा वर्तमान राजस्व अभिलेखों को स्वीकार कर राजस्व अभिलखों की प्रविष्टि को सही मानकर चाहे गये अनुतोष को विड्रो करने के उद्देश्य से प्रकरण वापस लिये गये। ऐसी स्थिति में समस्त अभिलेख साक्ष्य के [illegible] नामान्तरकरण संख्या 2373 के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्रत्यर्थी को नहीं था। उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अवैध होने से निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक तथ्यों को नजर अन्दाज किया कि एक बार कोई पक्षकार न्यायिक कार्यवाही के दौरान अपना क्लेम विड्रो करता है उसके पश्चात उसी वाद विषय से संबंधित पुनः नई कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में एक से अधिक बार पोलू द्वारा न्यायालय में वाद एवं आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त राजीनामा करते हुए विड्रो किये गये। उसी वाद विषय बाबत नामान्तरकरण संख्या 2373 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सुनवाई योग्य नहीं थी उसे खारिज करने के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने निर्णय दिनांक 29–7–2015 पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 2373 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इस भूमि बाबत नामान्तरकरण संख्या 976 लम्बित है तथा नामान्तरकरण संख्या 2373 के निस्तारण से पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 का निस्तारण किया जाना आवश्यक है जबकि नामान्तरकरण संख्या 976 किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से नहीं भरा गया अपितु मनमाने तौर पर भरा जाकर लम्बित रखा गया एवं इस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2373 को अपास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त संबंध में पृथक से सुनवाई कर नामान्तरकरण संख 976 को निस्तारित करते हुए जो भी आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाता आगामी प्रविष्टि उसके अनुसरण में अभिलेखों में किये जाने बाबत कोई अवरोध नहीं था। इस प्रकार अविधिक रूप से नामान्तरकरण संखय 2373 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–7–2015 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर के आराजी साबिक खसरा नम्बर 715 हाल खसरा नम्बर 878 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजियात है जो कि पूर्व में तेजू, हरजी बालिग व धन्ना, पोलू नाबालिग बसरबराही वाल्दा तेजू खुद पिता देबी कौम भील के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में दर्ज थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से अकेले गोकल, सोरत पिता तेजू के नाम अंकित कर दी गई जिसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 पोलू ने राजस्व केम्प प्रशासन शहरों के संग–2001 जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया था में अपना नाम दर्ज करने एवं अभिलेख में शुद्धि हेतु आवेदन किया जिस पर केम्प प्रभारी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश से नामान्तरकरण संख्या 976 दर्ज किया गया जो तहसीलदार मसूदा द्वारा लम्बित रखा गया जो कि आज दिवस तक लम्बित ही चला आ रहा है जिसका फायदा उठाते हुए अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 2373 राजस्व कर्मचारियों सेमिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया जबकि नामान्तरकराण संख्या 976 लम्बित रहने के दौरान इसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested

निस्तारण किये बिना इसी आराजी से संबंधित अन्य नामान्तरकरण नहीं भरा जा सकता था।

उनका यह भी कथन है कि लम्बित नामान्तरकरण के फैसल होने के उपरान्त ही यह ज्ञात हो सकता है कि शेष खातेदार के हक हिस्से में कितनी भूमि आती है और उसी अनुसार आगामी नामान्तरकरण प्रभाव में आ सकता है। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 2373 पूर्व के नामान्तरकरण संख्या 976 के फैसल होने के पूर्व ही कर दिया गया जिससे सम्पूर्ण भूमि प्रभावित हो गई जो कि विधिविरूद्ध होकर प्रतिपादित न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को माना है कि मृतक पोलू का नाम पूर्व में नाबालिग दर्ज था और राजस्व कर्मियों की त्रुटि के कारण हट गया जिसका शुद्ध नामान्तरकरण संख्या 976 भरा गया जो वर्तमान में लम्बित है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकार करने में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 से 140 के प्रावधानों की अनदेखी कर कानूनी भूल की है। देबी वल्द मोडा के नाम रजिस्टर्ड बेचाननामा वर्ष 1993 के 23 वर्ष बाद ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 2373 पारित किया गया जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं था।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 पोलू जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति था तथा अनुसूचित जन जाति का निर्धन व्यक्ति था जिसने अधिवक्ता से विधिक सलाह लेकर एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अजनाम पोलू बनाम रमेश उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार मसूदा द्वारा भ्रमित कर प्रकरण वापस लेने पर नामान्तरकरण संख्या 976 स्वीकृत करने का आश्वासन दिया उसके पश्चात उक्त वाद विड्रो किया गया था तथा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के कहने से धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो धोखे से विड्रो करवा लिया गया जबकि इस प्रकरण में पोलू विड्रो करने हेतु न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। विड्रो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वकालतनामें में टाईटल पोलू बनाम देबी लिखा हुआ था जबकि केस का टाईटल पोलू बनाम सोरत था। इस प्रकार पोलू को भ्रमित व धोखाधड़ी कर प्रार्थना पत्र विड्रो करवा लिया जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भी की गई थी तथा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना बिजयनगर में दर्ज करवाई गई थी। इस शिकायत की जांच जिला कलक्टर अजमेर ने की जिसमें पटवारी हलका द्वारा दबाव डालकर हस्ताक्षर करवाकर पूरा नामान्तरकरण फर्जी तरीके [illegible] के कारण राजस्व कर्मचारियों को दोषी माना गया था। उपरोक्त तर्कों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर के आराजी साबिक खसरा नम्बर 715 हाल खसरा नम्बर 878 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजियात है जो कि पूर्व में तेजू, हरजी बालिग व धन्ना, पोलू नाबालिग बसरबराही वाल्दा तेजू खुद पिता देबी कौम भील के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से अकेले गोकल, सोरत पिता तेजु के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दी गई जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 पोलू भील ने राजस्व केम्प प्रशासन शहरो के संग अभियान–2001 में अपना नाम दर्ज करने एवं अभिलेख में शुद्धि करने हेतु आवेदन किया जिस पर नामान्तरकरण संख्या 976 दर्ज किया गया जो तहसीलदार मसूदा द्वारा लम्बित रखा गया जो कि आज दिवस तक लम्बित चला आ रहा है जिसका फायदा उठाते हुए अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 2373 राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके स्वीकृत करवा लिया जबकि नामान्तरकरण संख्या 976 लम्बित चला आ रहा है जिसके लम्बित रहते इसी आराजी का अन्य नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 के राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 878 रकबा 5–10–10 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजियात है। जिसमें से 1/2 हिस्सा भूमि को गोकल व सोरत पि0 तेजू भील ने जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा के देबी वल्द मोडा भील निवासी बरल द्वितीय को बेचान कर कब्जा संभला दिया था देबी वल्द मोडा भील के फौत होने के बाद इनके विधिक वारिसानों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बरल द्वितीय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2373 स्वीकृत किया गया है जबकि इसी आराजियात खसरा नम्बर 878 से संबंधित नामान्तरकरण संख्या 976 तहसीलदार, बिजयनगर के यहां लम्बित था। उक्त नामान्तरकरण के निर्णय के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 2373 को स्वीकृत किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–7–2015 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित [illegible] का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के पिता देबी वल्द मोडा ने राजस्व ग्राम बरल द्वितीय [illegible] में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 878 रकबा 5–10–10 बीघा में विक्रेता गोकल व सोरत पुत्रान तेजू का समस्त हक, हिस्सा बिल मूल्यवान प्रतिफल के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर उपपंजीयक बिजयनगर के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 26–5–1993 को पंजीयन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested

करवाया गया। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा बरल द्वितीय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2373 दिनांक 5–5–2015 तस्दीक किया गया। इतनी लम्बी अवधि बाद सरपंच ग्राम पंचायत बरल द्वितीय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना सन्देह उत्पन्न करता है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि जब इसी विवादित आराजियात बाबत नामान्तरकरण संख्या 976 तहसीलदार, बिजयनगर के यहां लम्बित है तो उसके निस्तारण से पूर्व इसी आराजियात बाबत दूसरा नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अविधिक कार्यवाही किये जाने पर दोषी पाये जाने पर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 लम्बित होते हुए भी अपीलार्थी संख्या–1 विश्राम पुत्र देबी भील द्वारा दिनांक 4–5–2015 को विक्रय पत्र दिनांक 26–5–1993 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार बिजयनगर को प्रस्तुत किया गया जिस पर उनके द्वारा दिनांक 4–5–2015 को पटवारी हलका को नियमानुसार जांच कार्यवाही हेतु लिखा गया। भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 5–5–2015 को जांच की पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2373 दर्ज किया गया तथा उसी दिनांक 5–5–2015 को जांच कर सरपंच ग्राम पंचायत बरल द्वितीय द्वारा नामान्तरकरण निर्णित कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 2373 स्वीकृत होने पर अपीलार्थीगण के नाम दिनांक 13–5–2015 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री गोपाल वल्द भागू भील निवासी देवरिया तहसील भिनाय के पक्ष में 0–03 बीघा भूमि तथा श्री मनिराम उर्फ मानीलाल मीणा पुत्र श्री महादेव मीणा के पक्ष में 0.03–1. भूमि कराई गई तथा दिनांक 13–5–2015 को ही सम्पत्त वल्द देबी भील को मुख्यियारआम नियुक्त करते हुए रजिस्ट्री कराई गई इस प्रकार एक दो दिन में ही नामान्तरकरण फैसल कराकर तत्काल ही विवादित आराजियात का विक्रय कर दिया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बउनवान पोलू बनाम रमेश उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 पोलू का कथन रहा है कि इसमें तहसीलदार मसूदा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 पोलू को भ्रमित कर प्रकरण वापस लेने पर नामान्तरकरण संख्या 976 स्वीकृत करने का आश्वासन दिया गया और उसके पश्चात ही उक्त वाद विड्रो किया था तथा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के कहने से धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो धोखे से विड्रो करवा लिया गया जबकि इस प्रकरण [illegible] पोलू विड्रो करने हेतु न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ और प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर ही नहीं है। उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 2373 दिनांक 5–5–2015 स्वीकृत करने में अत्यधिक सक्रियता व तीव्रता से कार्यवाही [illegible]या जाना परिलक्षित होने से समस्त कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29—7—2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना विधिसगंत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29—7—2015 अन्तर्गत राजस्व मु0न0 02/2015 बउनवान पोलू बनाम विश्राम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested